न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 04 / 2024 (डूंगरपुर आर्डर)

1. कृष्णा कुंवर पुत्री विक्रमसिंह राजपूत, निवासी धताणा, हाल निवासी रीछा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती केसर कुंवर पत्नी स्वर्गीय विक्रमसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. जयेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. जसवन्तसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. धर्मिष्ठा पुत्री विक्रमसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. भूपेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. वीरेन्द्र कुंवर पुत्री विक्रमसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. सुरेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. चन्द्रवीरसिंह पिता अर्जुनसिंह, निवासी धताणा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 25.07.2024, प्र.सं. 08/2022

———/———

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कच्छावा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 23–01–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धताणा में प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 129 की के खेत 29 रकबा 5.0887 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी नंबर 3408, 3409, 3411 कुल किता 3 रकबा 0.5905 हैक्टर भूमि पर आराजी नंबर 3407 रकबा 0.2103 से अपने बाप दादा के समय से आता जाता है एवं ट्रैक्टर, बैल इत्यादि लाता ले जाता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के खाते की आराजी 3407 में से आने जाने हेतु 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25–07–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 8 की आराजी 3407 में से आने जाने हेतु 11 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 से 8 द्वारा यह अपील दिनांक 09–09–2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण की भूमि से रास्ता दिये जाने से पूर्व उन्हें समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना ही अपीलान्टगण के खाते की भूमि से रास्ता प्रदान कर दिया है जो विधिक नहीं है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के पास पूर्व से रास्ता पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनायी गयी सड़क से उपलब्ध है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट करता चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि मौके पर किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पास उपलब्ध नहीं है, जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 3407 रकबा 0.2103 हैक्टर में से 11 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उन्हें बिना सुने मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–07–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को विधि सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 23–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:23 IST
Reason: SelfAttested